



प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

पत्रांक: पी०आर०एस०यू०/सम्ब० (प्र०स०)/R. 253/2022

दिनांक : 7/5/2022

सेवा में,

प्रबन्धक (प्रबन्ध समिति),

श्रीमती दुर्गावती देवी महाविद्यालय,

मनू का पूरा, उरूवा, मेजा, प्रयागराज, उ०प्र०।

विषय: प्रबन्ध समिति को मान्यता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रेषित प्रस्ताव दिनांक: 20.04.2022 के संदर्भ में सूचित करना है कि श्रीमती दुर्गावती देवी महाविद्यालय, मनू का पूरा, उरूवा, मेजा, प्रयागराज, उ०प्र० की दिनांक- 10.04.2022 को निम्नलिखित पदाधिकारियों एवं सदस्यों वाली गठित एवं चयनित प्रबन्ध समिति को माननीय कुलपति जी ने परिणियमावली 13.05 एवं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 2(13) के अधीन दिनांक: 04.05.2022 से दिनांक: 15.12.2026 (सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्य तिथि) तक की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करने की कृपा की है।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पद
01	श्री कमलेश कुमार मिश्र	पुत्र- श्री आदित्य प्रसाद मिश्र	अध्यक्ष
02	श्री छमा शंकर मिश्र	पुत्र- श्री वशिष्ठ नारायण मिश्र	उपाध्यक्ष
03	श्री अजय विक्रम देव मिश्र	पुत्र- स्व० कृष्ण देव मिश्र	प्रबन्धक
04	सुश्री सरिता पाण्डेय	पुत्री- श्री अनिरुद्ध पाण्डेय	कोषाध्यक्ष
05	श्री सूर्य नारायण त्रिपाठी	पुत्र- श्री बट्टी नारायण त्रिपाठी	आडीटर
06	श्रीमती सुनैना मिश्रा	पत्नी- स्व० अखिलेश कुमार मिश्र पुत्री- श्री विन्ध्यवासिनी प्रसाद पाण्डेय	सदस्या
07	श्रीमती सावित्री देवी	पत्नी- स्व० राजितराम पुत्री- श्री लक्ष्मण	सदस्या
08	श्री रविन्द्र नाथ दुबे	पुत्र- श्री चिन्तामणि दुबे	सदस्य
09	श्री लालजी दुबे	पुत्र- श्री दयाशंकर दुबे	सदस्य
10	श्री श्यामलाल	पुत्र- श्री हिन्छलाल	सदस्य
11	श्री पारसनाथ	पुत्र- श्री भगौती प्रसाद	सदस्य
12	डॉ० संजय कुमार मिश्र (प्राचार्य)	पुत्र- श्री बांकलाल	पदेन सदस्य
13	डॉ० रमेश कुमार मिश्र (शिक्षक प्रतिनिधि)	पुत्र- श्री शोभनाथ मिश्र	पदेन सदस्य (चक्रानुसार)
14	श्री राज राव (शिक्षणोत्तर कर्मचारी प्रतिनिधि)	पुत्र- स्व० कैलाश नाथ	पदेन सदस्य (चक्रानुसार)

नोट:—उपरोक्त प्रबन्ध समिति का अनुमोदन प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत किये गये अगिलेखों के आधार पर किया गया है। भविष्य में प्रस्तुत किये गये अगिलेखों/प्रपत्रों के अस्तित्व पाये जाने की दशा में महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति का अनुमोदन स्वतः समाप्त हो जायेगा।

भवदीय,

(एस०के० शुक्ल)
कुल सचिव।